"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 406] रायपुर, बुधवार, दिनांक 13 सितम्बर 2017 — भाद्रपद 22, शक 1939

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 13 सितम्बर 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7–27/2017/32. — छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 में और संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 85 की उप–धारा (1) सहपठित धारा 24 की उप–धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 85 की उप–धारा (1) के अधीन अपेक्षित किये गये अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिये एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस के अवसान के पश्चात् विचार किया जायेगा।

कोई आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, प्रमुख सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, कक्ष क्र.एम–5/11, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जायेगा।

संशोधन प्रारूप

उक्त नियमों में,–

1. नियम 2 में, उप–नियम 26 के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"(26–क) बाह्य एजेंसियां" से अभिप्रेत है भारत सरकार और/या राज्य सरकार के अधीन समस्त एजेंसियां और इसमें सम्मिलित है भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण, पर्यावरण मंत्रालय, रेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, केन्द्रीय भू–जल प्राधिकरण, भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण आदि या छत्तीसगढ़ शासन का जैसे कि अग्निशमन सेवायें, लोक निर्माण विभाग, आर्ट कमीशन, विद्युत मंडल, मुख्य विद्युत निरीक्षक, लिफ्ट इंस्पेक्टर, हाई राईज समिति, जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, राजस्व विभाग आदि, जिनके द्वारा विकास अनुज्ञा, भवन अनुज्ञा, प्लींथ सर्टिफिकेट और पूर्णता सह अधिभोग प्रमाणपत्र प्रदान करने हेतु तत्समय प्रवृत्त उनके प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के अधीन स्थल निरीक्षण करना या एन.ओ.सी. (अनापत्ति प्रमाणपत्र) देना अपेक्षित है, सम्मिलित होंगे;"

2. नियम 10 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"10. निरीक्षण.– भवन निर्माण अधिकारी सभी अपेक्षित निरीक्षण कर सकेगा या करवा सकेगा अथवा वह प्राधिकृत एवं मान्यता प्राप्त सेवाओं या व्यक्तियों की निरीक्षण रिपोर्ट प्रतिग्रहीत कर सकेगा, और सभी निरीक्षण रिपोर्ट लिखित में होगी तथा ऐसी प्राधिकृत सेवा के किसी उत्तरदायी अधिकारी द्वारा या उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा प्रमाणित होगी। नियम 26 के अनुसार, भवन अधिकारी, प्राधिकारी के अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए, ऐसे असामान्य तकनीकी मामलों में जो उत्पन्न हो, रिपोर्ट देने के लिए किसी ऐसे विशेषज्ञ की नियुक्ति कर सकेगा, जैसा कि वह आवश्यक समझे।"

3. नियम 16 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"16. भवन के निर्माण या विकास के लिए अनुज्ञा हेतु आवेदन पत्र.– ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो भवन के किसी स्थान में विकास, निर्माण, पुनर्निमाण या कोई परिवर्तन करना चाहता है, परिशिष्ट 'क' में दिए गए प्ररूप में अपने आशय की लिखित सूचना प्राधिकारी को देगा और ऐसी सूचना के साथ रेखांक तथा विवरण/नियम 17 के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार सूचना, जैसे कि रेखांक, वचन पत्र, शपथ पत्र, दस्तावेज चार प्रतियां में संलग्न होंगी। रेखांक सामान्य प्रिंट में फेरों पेपर या किसी अन्य पेपर पर होंगे। ऐसे रेखांक का एक सेट कपड़े की जिल्द में होगा, जिसे अनुज्ञा जारी करने या जारी करने से इन्कार करने के पश्चात् अभिलेख के लिए प्राधिकारी के कार्यालय में रखी जाएगी। आवेदन–पत्र के साथ ऐसे दस्तावेज संलग्न होंगे, जिसमें स्थल के स्वामित्व या उसके संबंध में किसी विधिक अधिकार का प्रमाण दर्शित हों।"

4. नियम 17 में,–

(एक) उप–नियम (9) में, पार्श्व शीर्षक "पर्यवेक्षण" के स्थान पर, पार्श्व शीर्षक "पर्यवेक्षण प्रमाणपत्र" प्रतिस्थापित किया जाए;

(दो) उप–नियम (10) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"(10–क) भवन की संरचना इंजीनियर/वास्तुविद द्वारा नियम 84 मे विहित निबंधन एवं शर्तों के साथ भूकंप प्रभावित क्षेत्रों का स्वहस्ताक्षरित संरचना रूपांकन एवं मृदा अनुसंधान प्रतिवेदन का प्रमाण पत्र जमा करेगा।"

(तीन) उप–नियम (13) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:–

"14. दस्तावेजों का जमा करना.– (1) परिशिष्ट–द में दिए गए अनुलग्नक के साथ क्षतिपूर्ति बॉंड सह शपथ–पत्र।

(2) नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के अनुमोदित ले–आउट या भूमि उपयोग प्रमाणपत्र ।

(3) स्थल फोटोग्राफ्स।

(4) भवन निर्माण लागत का अनुमान ।

(5) विद्यमान भवन निर्माण अनुज्ञा प्रमाणपत्र, यदि लागू हो।

(6) पिछले वर्ष की संपत्ति कर भुगतान की पावती।"

5. नियम 20 का लोप किया जाये।

6. नियम 28 में, शब्द "सूचना नहीं देता तो" के पश्चात्, शब्द "रेखांक तथा विवरणों के साथ" का लोप किया जाए।

7. नियम 31 के उप–नियम (2) के खण्ड (ज) का लोप किया जाये ।

8. नियम 34 में,–

(एक) उप–नियम (1) और (2) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"(1) सामान्यतः सभी निर्माण या कार्य, जिसके लिए अनुमति अपेक्षित है, प्राधिकरण/बाह्य एजेंसियों द्वारा एकल संयुक्त निरीक्षण के अध्यधीन होगा और असामान्य खतरे अंतर्वलित करने वाले या निरंतर निरीक्षण की आवश्यकता वाले इस प्रकार के कतिपय निर्माण का, प्राधिकरण द्वारा नियुक्त विशेष निरीक्षकों द्वारा निरंतर निरीक्षण किया जाएगा।

(2) नियम 79–च में यथा परिभाषित जोखिम वर्गीकरण के अनुसार, जहां आवश्यक हो, एकल संयुक्त निरीक्षण, नियम 16, 96 और 98 के अधीन प्राधिकरण/बाह्य एजेंसी द्वारा आवेदन/नोटिस प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर किया जाएगा। नियम 10 के अधीन किए गए निरीक्षण के लिए निरीक्षण रिपोर्ट परिशिष्ट–थ 1 में विहित प्रारूप में प्रस्तुत की जाएगी। बाह्य एजेंसियों द्वारा निरीक्षण के लिए निरीक्षण रिपोर्ट, तत्समय प्रवृत्त उनके विधि के अधीन विहित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाएगा। बाह्य एजेंसी, सूचना तथा रेखांक प्राप्त होने की तारीख से 10 दिवस के भीतर इस आशय की रिपोर्ट प्राधिकारी को भेजेंगे कि उन्हें प्रस्तावित निर्माण के संबंध में कोई आपत्ति है या नहीं हैं। और आपत्ति, यदि कोई हो, तो उसके लिए संक्षेप में कारण भेजेंगे। यदि बाह्य एजेंसी से 10 दिवस के भीतर या ऐसी और कालावधि, जो कि प्राधिकारी द्वारा बढ़ाई जाए, के भीतर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता हैं, तो प्राधिकारी रेखांक की स्वीकृति के प्रश्न पर विचार करने हेतु स्वतंत्र होगा।"

(दो) उप–नियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"(2–क) उप–नियम (2) के अधीन निरीक्षण रिपोर्ट जमा की जायेगी और एकल संयुक्त निरीक्षण के 48 घंटे के भीतर प्राधिकरण/बाह्य एजेंसी की अभिहित वेबसाईट पर अपलोड की जायेगी।"

9. नियम 79–च में,–

(एक) उप–नियम (1) में, शीर्षक "विभिन्न आवासीय भवनों के लिए जोखिम मैट्रिक्स" की सारणी में, कॉलम संख्या (1) एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों में प्रविष्टि "परिसर का उपयोग" के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :–

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"भवन निर्माण अनुज्ञा निरीक्षण मापदंड		स्वयं एवं अनुज्ञप्तिधारी वास्तुविद्/ इंजीनियर, आदि	स्वयं एवं अनुज्ञप्तिधारी वास्तुविद्/ इंजीनियर, आदि	स्वयं एवं अनुज्ञप्तिधारी वास्तुविद्/ इंजीनियर, आदि	भवन अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि
प्लींथ निरीक्षण मापदंड		स्वयं एवं अनुज्ञप्तिधारी वास्तुविद्/ इंजीनियर, आदि	भवन अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि	भवन अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि	भवन अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि
पूर्णता सह–अधिभोग निरीक्षण मापदंड		भवन अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि	भवन अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि	भवन अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि	भवन अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि

(दो) उप–नियम (2) में, शीर्षक "भंडारण/गोदामों के लिए जोखिम मैट्रिक्स" की सारणी में, कॉलम संख्या (1) एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों में प्रविष्टि "भंडारण सामग्री के प्रकार" के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये,

अर्थात् :–

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
''भवन निर्माण अनुज्ञा निरीक्षण मापदंड	स्वयं एवं अनुज्ञप्तिधारी वास्तुविद्/ इंजीनियर, आदि	स्वयं एवं अनुज्ञप्तिधारी वास्तुविद्/ इंजीनियर, आदि	स्वयं एवं अनुज्ञप्तिधारी वास्तुविद्/ इंजीनियर, आदि	भवन अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि
प्लींथ निरीक्षण मापदंड	स्वयं एवं अनुज्ञप्तिधारी वास्तुविद्/ इंजीनियर, आदि	भवन अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि	भवन अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि	भवन अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि
पूर्णता सह–अधिभोग निरीक्षण मापदंड	भवन अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि	भवन अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि	भवन अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि	भवन अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि

(तीन) उप–नियम (3) में, शीर्षक ''उद्योगों के लिए जोखिम मैट्रिक्स'' की सारणी में, कॉलम संख्या (1) एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों में प्रविष्टि ''सम्मुख मार्ग की चौड़ाई'' के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :–

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
''भवन निर्माण अनुज्ञा निरीक्षण मापदंड	स्वयं एवं अनुज्ञप्तिधारी वास्तुविद्/ इंजीनियर, आदि	स्वयं एवं अनुज्ञप्तिधारी वास्तुविद्/ इंजीनियर, आदि	स्वयं एवं अनुज्ञप्तिधारी वास्तुविद्/ इंजीनियर, आदि	भवन अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि
प्लींथ निरीक्षण मापदंड	स्वयं एवं अनुज्ञप्तिधारी वास्तुविद्/ इंजीनियर, आदि	भवन अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि	भवन अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि	भवन अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि
पूर्णता सह–अधिभोग निरीक्षण मापदंड	भवन अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि	भवन अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि	भवन अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि	भवन अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि

10. नियम 96 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

''96. प्लींथ सर्टिफिकेट– भवन का स्वामी, प्लींथ के निर्माण पूरा होने पर, परिशिष्ट–च में विहित प्रारूप में प्राधिकारी को सूचना देगा । प्राधिकारी/बाह्य एजेंसी, ऐसी सूचना प्राप्त होने के 7 दिवस के भीतर, नियम 34 के अंतर्गत उपबंधित एकल संयुक्त निरीक्षण करेगा और एकल संयुक्त निरीक्षण के 48 घंटे के भीतर परिशिष्ट थ–2 में दिए गए प्रारूप में निरीक्षण रिपोर्ट जमा करेगा। प्राधिकारी, प्रारूप–ध में दिए गए प्रारूप में ऐसी सूचना की प्राप्ति से 8 दिवस के भीतर, प्लींथ सर्टिफिकेट जारी करेगा, जिसमें स्वामी द्वारा पालन किए जाने वाले शर्तें/निर्देश विहित होंगी, ऐसा करने में विफल होने पर यह जारी किया गया माना जायेगा। स्वामी, ऐसे निर्देशों का कियान्वयन करेगा जो कि दिया गया है, ऐसा करने में विफल होने पर प्राधिकारी, प्लींथ के ऐसे हिस्से, जो आपत्तिधीन है, को हटाने हेतु सक्षम होगा।

11. नियम 97 का लोप किया जाये।

12. नियम 98 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

''98. पूर्णता एवं अधिभोग प्रमाणपत्र.– भवन के पूर्ण होने पर और उसके कब्जे से पहले, भवन का स्वामी, परिशिष्ट–छ में विहित प्रारूप में प्राधिकारी को सूचना देगा। प्राधिकरण/बाह्य एजेंसी, ऐसी नोटिस प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर, नियम 34 के अंतर्गत उपबंधित एकल संयुक्त निरीक्षण करेगा और एकल संयुक्त निरीक्षण के 48 घंटों के भीतर परिशिष्ट थ–3 में दी गई प्रारूप में निरीक्षण रिपोर्ट जमा करेगा। प्राधिकरण, ऐसी सूचना की

प्राप्ति से आठ दिवस के भीतर परिशिष्ट–न में दिए गए प्रारूप में पूर्णता एवं अधिभोग प्रमाणपत्र जारी करेगा, ऐसा करने में विफल होने पर यह जारी किया गया माना जायेगा। भवन, जिसके लिए पूर्णता एवं अधिभोग प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया गया है, का अधिभोग छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 36 के अधीन उल्लंघन माना जायेगा और इसमें विहित शास्ति का दायी होगा।''

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, अपर सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 13 सितम्बर 2017

क्रमांक एफ 7–27/2017/32. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 13–09–2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, अपर सचिव.

Naya Raipur, the 13th September2017

NOTIFICATION

No. F 7-27/2017/32. — The following further draft amendment in the Chhattisgarh Bhumi Vikas Rules 1984, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 85 read with sub-section (3) of Section 24 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), is hereby, published as required under sub-section (1) of Section 85 of the said Adhiniyam, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after expiry of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objection or suggestion regarding the said draft received from any person before the specified period during office hours, by Office of the Principal Secretary, Department of Housing and Environment, Government of Chhattisgarh, Room No. M-5/11, Mahanadi Bhawan, Mantralaya, Naya Raipur, shall be considered by the Government of Chhattisgarh.

DRAFT AMENDMENT

In the said rules,-

1. In rule 2, after sub-rule 26, the following shall be inserted, namely :-

"(26-a) "External Agencies" means all the agencies under the Government of India and/or the State Government, and shall include the Airports Authority of India, National Monuments Authority, Ministry of Environment, Ministry of Railways, Ministry of Defense, Central Ground Water Authority, National Highway Authority of India, etc. or Government of Chhattisgarh such as Fire Services, Public Works Department, Art Commission, Electricity Board, Chief Electrical Inspector, Lift Inspector, High Rise Committee, Water Resource Department, Public Health Engineering Department, Urban Administration and Development Department, Panchayat and Rural Development Department, Department of Commerce and Industries, Revenue Department, etc., who are required to do site inspection or give NOC (No Objection Certificate) under their territorial jurisdiction for the time being in force for granting Development Permission, Building Permission, Plinth Certificate and Completion cum Occupancy Certificate;"

2. For rule 10, the following shall be substituted, namely :-

"10. Inspection.-The Building Officer may make or cause to be made all the required inspections or he may accept reports of inspection of authoritative and recognized service or individuals, and all reports of inspections shall be in writing and certified by a responsible officer of such authoritative service or by the responsible individuals. As per rule 26, the Building Officer may, subject to the approval of the Authority, appoint any specialist as he may deem necessary to report upon unusual technical issues that may arise."

3. For rule 16, the following shall be substituted, namely :-

"16. Application for permission for development or construction of Building.- Every person who intends to develop, erect, re-erect or make alteration in any place in a building shall give notice in writing to the Authority of his intension in the form given in Appendix 'A' and such notice shall be accompanied by plan and statement/information such as plans, undertakings, affidavits, documents in quadruplicate as required under rule 17. The plans may be in ordinary prints on faro paper or any type. One set of such plans shall be cloth mounted, which shall be retained in the office of the Authority for record after the issue of permit or a refusal. The application shall be accompanied with documents showing proof of ownership or of any legal right in relation to the site."

4. In rule 17,-

(i) in sub-rule (9), for the marginal heading" "Supervision", the marginal heading "Supervision Certificate", shall be substituted;

(ii) after sub-rule (10), the following shall be inserted, namely:-

"(10-a) The structure of the building will be submitted by the Engineer/Architect to certify the self signed structure of the earthquake-affected areas and the soil research report with the terms and conditions prescribed in Section 84."

(iii) after sub-rule (13), the following shall be added, namely:-

"14. Document to be submitted.- (1) Indemnity Bond Cum Affidavit along with Annexure as given in Appendix R.

(2) Approved Layout or Land Use Certificate of Town and Country Planning Department.

(3) Site Photographs.

(4) Estimation of Construction Cost of Building.

(5) Existing Building Permission Certificate, if applicable.

(6) Last year Property Tax Payment Receipt."

5. Rule 20 shall be omitted.

6. In rule 28, after the word "notice ", the words "with its plans and statements" shall be omitted.

7. Clause (h) of sub-rule (2) of rule 31 shall be omitted.

8. In rule 34,-

(i) for sub-rule (1) and (2), the following shall be substituted, namely:-

"(1) Generally all construction or work for which permission is required shall be subject to Single Joint inspection by the Authority/External Agencies and certain types of constructions involving unusual hazards or requiring constant inspection shall have continuous inspection by special Inspectors appointed by the Authority.

(2) Single Joint Inspection, wherever required, according to risk classification as defined in Rule 79-F, shall be made within 7 days of the receipt of application/notice by the Authority/External Agency under Rule 16, 96 and 98. The inspection report for

inspections carried out under Rule 10 shall be submitted in the format prescribed in Appendix Q1. The inspection report for inspections by external agencies will be submitted in the format prescribed under their laws for the time being in force. The External Agency shall report to the authority within 10 days from the date of the receipt of the notice and plans whether or not they have any objection to the proposed construction, and give brief reasons for objection, if any. If no reply is received within 10 days or within such further period as may be extended by the Authority from the External Agency, then the authority shall be free to consider the question of sanctioning the plan."

(ii) after sub-rule (2), the following shall be inserted, namely:-

"(2-a) The inspection reports under sub-rule (2) above shall be submitted and uploaded on the designated website of the Authority/External Agency within 48 hours of the Single Joint Inspection."

9. In rule 79-F,-

(i) in sub-rule (1), in the Table of Heading "Risk Matrix for different residential buildings", after entry "use of the premises" in column number (1) and entries relating thereto, the following shall be added, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"Building Permission Inspection Criteria		Self and Licensed Architects/ Engineers, etc.	Self and Licensed Architects/ Engineers, etc.	Self and Licensed Architects/ Engineers, etc.	Building Officer or his Authorized Representative
Plinth Inspection Criteria		Self and Licensed Architects/ Engineers, etc.	Building Officer or his Authorized Representative	Building Officer or his Authorized Representative	Building Officer or his Authorized Representative
Completion-cum occupancy inspection criteria		Building Officer or his Authorized Representative	Building Officer or his Authorized Representative	Building Officer or his Authorized Representative	Building Officer or his Authorized Representative"

(ii) in sub-rule (2), in the Table of Heading "Risk Matrix for storage/warehouses", after entry "type of material storage" in column number (1) and entries relating thereto, the following shall be added, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"Building Permission Inspection Criteria	Self and Licensed Architects/ Engineers, etc.	Self and Licensed Architects/ Engineers, etc.	Self and Licensed Architects/ Engineers, etc.	Building Officer or his Authorized Representative
Plinth Inspection Criteria	Self and Licensed Architects/ Engineers, etc.	Building Officer or his Authorized Representative	Building Officer or his Authorized Representative	Building Officer or his Authorized Representative
Completion-cum occupancy inspection criteria	Building Officer or his Authorized Representative	Building Officer or his Authorized Representative	Building Officer or his Authorized Representative	Building Officer or his Authorized Representative"

(iii) in sub-rule (3), in the Table of Heading "Risk Matrix for industries", after entry "abutting road width" in column number (1) and entries relating thereto, the following shall be added, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"Building Permission Inspection Criteria		Self and Licensed Architects/ Engineers, etc.	Self and Licensed Architects/ Engineers, etc.	Building Officer or his Authorized Representative
Plinth Inspection Criteria		Building Officer or his Authorized Representative	Building Officer or his Authorized Representative	Building Officer or his Authorized Representative
Completion-cum occupancy inspection criteria		Building Officer or his Authorized Representative	Building Officer or his Authorized Representative	Building Officer or his Authorized Representative"

10. For Rule 96, the following shall be substituted, namely :-

"96. Plinth Certificate– On completion of the construction of the plinth, the owner of the building shall give notice to the authority in the format prescribed in Appendix-F. The Authority/External Agency within 7 days of receipt of such notice shall carry out Single Joint Inspection provided under Rule 34 and submit the inspection reports in the format given in Appendix – Q2 within 48 hours of the Single Joint Inspection. The Authority shall issue Plinth Certificate prescribing conditions/ instructions to be followed by owner in format given in Appendix–S within 8 days from the receipt of such notice failing which it will be deemed to have been issued. The owner shall carry out such instructions as are given, failing which the authority will be competent to demolish such part of the plinth as is under objection."

11. Rule 97 shall be omitted.

12. For Rule 98, the following shall be substituted, namely :-

"98. Completion and Occupancy Certificate.- On completion of the building and before its occupation, the owner of the building shall give notice to the Authority in the format prescribed in Appendix-G. The Authority/External Agency shall carry out Single Joint Inspection provided under Rule 34 within 7 days of receipt of such notice and submit the inspection reports in the format given in Appendix – Q3 within 48 hours of the Single Joint Inspection.

The Authority shall issue Completion and Occupancy Certificate in format given in Appendix – T within eight days from the receipt of such notice failing which it shall be deemed to have been issued. Occupancy of a building for which a completion and occupancy certificate has not been obtained shall be deemed to be a violation under Section 36 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No, 23 of 1973) and shall invite the penalty prescribed therein."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
REGINA TOPPO, Additional Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2017.